सं०सं०–1/डी०एम०सी०–11–02/2014–.....04.(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : **संजय कुमार,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
दरभंगा मेडिकल कॉलेज,
लहेरियासराय।

पटना, दिनांक– 24/ 04 /2012

विषयः–दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 30,74,32,500/– (तीस करोड़ चौहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निम्नांकित शीर्ष/ उप शीर्ष अन्तर्गत दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय को विपत्र कोड एन 2210051050003 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 30,74,32,500/– (तीस करोड़ चौहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

5. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0003–दरभंगा मेडिकल कॉलेज मांग संख्या 20, विपत्र कोड– N 2210051050003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

7. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

24/4/2012.

क्रमशः

8. इस आवंटनादेश में प्राचार्य, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, लहेरियासराय के पत्रांक 2146 दिनांक 09.04.2012 द्वारा याचित एवं राज्यादेश संख्या 241(1), दिनांक 31.03.2011 आवंटनादेश संख्या 109(1)ब०, दिनांक 09.02.2012 एवं अन्य आवंटनादेश द्वारा आवंटित राशि से संबंधित विपत्रों की विगत वित्तीय वर्ष में कोषागार द्वारा निकासी नहीं हो पाने के कारण विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों में याचित आवंटन की राशि भी समाहित है ।

9. इस आवंटनादेश में मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए भी मशीनें एवं उपस्कर ईकाई में राशि समाहित है ।

10. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्मत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

11. आवंटित राशि की व्यय विवरणी (टी०वी० संख्या एवं तिथि सहित) प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रतिवेदन ससमय प्राप्त नहीं होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आप पर निर्धारित की जायेगी।

12. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से की जायेगी।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/डी०एम०सी०–11–02/2012–...04.(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक–24/04 /2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/ जिलाधिकारी, दरभंगा/ कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

दरभंगा मेडिकल कॉलेज विपत्र कोड एन 2210051050003 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			
विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	107161000	96444900	10716100
01 02 विशेष वेतन	3000	2700	300
01 03 जीवन यापन भत्ता	70006000	63005400	7000600
01 04 मकान किराया भत्ता	7983000	7184700	798300
01 05 परिवहन भत्ता	0	0	0
01 06 चिकित्सा भत्ता	566000	509400	56600
01 07 अन्य भत्ता	81000	72900	8100
योग– वेतन एवं भत्ते	**185800000**	**167220000**	**18580000**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2000000	1000000	1000000
11 01 यात्रा व्यय	200000	100000	100000
13 01 कार्यालय व्यय	13500000	6750000	6750000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	350000	175000	175000
13 03 दूरभाष	200000	100000	100000
13 04 विद्युत प्रभार	6000000	3000000	3000000
13 05 विधि प्रभार	100000	50000	50000
13 06 वर्दी/पोशाक	200000	100000	100000
14 01 किराया महसूल एवं कर	55000	27500	27500
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	100000	50000	50000
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	200000	100000	100000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	2000000	1000000	1000000
21 02 दवा भण्डार	3000000	1500000	1500000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	30000000	0	30000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	10000000	5000000	5000000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	132300000	66150000	66150000
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	58810000	55110000	3700000
कुल योग :–	**444815000**	**307432500**	**137382500**

मात्र (तीस करोड़ चौहत्तर लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) रूपए

04(1)वि॰
24-4-12

24/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।